

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र०-700801/16

संस्थित दिनांक-15.12.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

राघवेन्द्र पुत्र परमालसिंह पाल उम्र 25 साल

निवासी- अर्जुन कालोनी, वार्ड क्र० 4 गोहद

जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 22.12.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 15.03.16 को 13:00 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड़ पर बूटी कुईया के सामने सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम०पी०-०९ बी०सी० 8061 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी अली मौहम्मद को टक्कर मारकर उपहति एवं घोर उपहति कारित की।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि आहत जुम्न व चांद खां द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को जुम्न व चांद खां के संबंध में भादवि० की धारा 337 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 एवं आहत अलीमौहम्मद के संबंध में सभी आरोपों में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 15.03.16 को दोपहर करीब एक बजे फरियादी अली मौहम्मद मोटरसाईकिल प्लेटिना से घर सर्वा आ रहा था। बूटी कुईया के सामने भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर एक स्कार्पियो गाडी क्र० एम०पी०-०९ बी०सी०-8061 का चालक वाहन को चलाकर ले जा रहा था और बिना संकेत दिए एकदम से ब्रेक लगा दिए जिससे उनकी गाडी पीछे से जाकर टकरा गयी जिससे फरियादी व मोटरसाईकिल पर बैठे जुम्न खां व चांद खां को चोटें आई। उक्त आशय की देहाती नालिसी से अप०क्र० 65/16 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, आहतगण के चिकित्सीय परीक्षण कराए गए। साक्षियों के कथन लेखबद्ध

किए गए, वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर० पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना बताया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1-क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.03.16 को 13:00 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर बूटी कुईया के सामने सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम०पी०-०९ बी०सी० 8061 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2-उक्त दिनांक, समय पर फरियादी अली मौहम्मद के शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उनकी प्रकृति क्या थी ?

3-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर तथा फरि० अली मौहम्मद को टक्कर मारकर उपहति एवं घोर उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अली मौहम्मद खां अ०सा० 1, चांद खां अ०सा० 2, जुम्नन खां अ०सा० 3, हेमंत पाण्डे अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

// विचारणीय प्रश्न 2 पर निष्कर्ष //

7. फरियादी अली मौहम्मद अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में घटना दिनांक 15.03.2016 की बताते हुए कथन करते हैं कि वे हाईस्कूल का पेपर देकर मॉडर्न स्कूल गोहद से पेपर देकर अपने घर सर्वा मोटरसाईकिल से जा रहे थे। उनके साथ जुम्नन खां व चांद खां भी बैठे थे। जैसे ही वे लोग बूटी कुईया पर पहुंचे तभी स्कार्पियो तेजी से चलती हुई आई और एकदम से बहककर उसने आगे को ब्रेक मार दिए जिससे उसकी गाडी उक्त स्कार्पियो से टकरा गयी। उक्त दुर्घटना में उसे तथा जुम्नन एवं चांद खां को चोटें आई, जिन्हें डाक्टरी के लिए ग्वालियर ले गए। देहाती नालिसी प्र०पी० 1 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। चांद खां अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि वे अली मौहम्मद और जुम्नन के साथ दोपहर करीब डेढ बजे परीक्षा देकर गांव सर्वा मोटरसाईकिल से जा रहे थे। उक्त मोटरसाईकिल को अली मौहम्मद चला रहा था और बूटी कुईया के पास मोटरसाईकिल जा रही थी तभी उनकी एक स्कार्पियो से टक्कर हो गयी। टक्कर के बाद वे

लोग बेहोश हो गए। साक्षी उक्त स्कार्पियो का नंबर बताने में अस्मर्थ है और अस्पताल में होश आने का कथन करता है। लगभग ऐसा ही कथन जुम्नन खां अ०सा० 3 करते हैं। वे भी दुर्घटना के बाद बेहोश हो जाने का कथन करते हैं।

8. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से आहतगण के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है। उनके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट स्वीकार किए जाने से यह तथ्य अविवादित रूप से प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 15.03.16 को आहत अली मौहम्मद के शरीर पर चोटें मौजूद थीं जिसमें आहत को क्लेवीकल अस्थि में अस्थिभंग डिस्चार्ज टिकिट के अनुसार मौजूद था। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा कथित स्कार्पियो एम०पी०-०९ बी०सी०-८०६१ को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया ?

/// विचारणीय प्रश्न 1 व 3 पर निष्कर्ष ///

9. फरियादी अली मौहम्मद अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथित वाहन स्कार्पियो के चालक द्वारा तेजी से चलाते हुए और एकदम से बहककर उसके आगे को ब्रेक मार दिए जाने के संबंध में कथन करते हैं। जबकि आहत चांद खां अ०सा० 2 एवं जुम्नन खां अ०सा० 3 दोनों ही आहत अपने अभिसाक्ष्य में कथित स्कार्पियो के चालक द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाए जाने का कोई कथन नहीं करते हैं। उक्त साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर दिए जाने से साक्षियों द्वारा सूचक प्रश्नों में सुझाव से इंकार किया गया है कि स्कार्पियो एम०पी०-०९ बी०सी०-८०६१ के चालक द्वारा बिना संकेत व इण्डीकेटर दिए अचानक से ब्रेक लगा दिए जिससे उनकी गाडी टकरा गयी। प्रकरण में अभियोजन दस्तावेजों में वाहन की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण हैं जिसमें कि कथित स्कार्पियो एम०पी०-०९ बी०सी०-८०६१ के मैकेनिकल जांच करने पर उसके ब्रेक सिस्टम तथा लाईट सिस्टम ठीक अवस्था में पाए जाने का तथ्य लेख है। उक्त वाहन पर कोई खरोंच या दुर्घटना के चिन्ह पाए गए हो, ऐसा भी रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में स्वयं आहतगण के द्वारा अभियोजन के मामले में संदिग्ध परिस्थिति को उत्पन्न कर दिया गया है।

10. प्रकरण में फरियादी अली मौहम्मद यह कथन करता है कि वह मोटरसाईकिल पर अन्य दो व्यक्तियों चांद खां व जुम्नन खां के साथ बैठकर जा रहा था और उसके पास मोटरसाईकिल चलाने की चालक अनुज्ञप्ति भी नहीं थी। उक्त मोटरसाईकिल स्वयं उसकी भी नहीं थी और यह भी कथन करता है कि मोटरसाईकिल पर तीन व्यक्ति बैठना प्रतिबंधित है। यहां उल्लेखनीय है कि कथित दुर्घटना मोटरसाईकिल के आगे चल रही कथित स्कार्पियो के चालक द्वारा अचानक से उसे रोक देने के कारण बताई गयी है अर्थात् दुर्घटना में पीछे से मोटरसाईकिल चालक द्वारा स्कार्पियो में टक्कर मारने के संबंध में स्वयं ही अभियोजन की साक्ष्य अभिलेख पर है। ऐसी दशा में जहां स्वयं आहत

बिना चालक अनुज्ञप्ति के तीन व्यक्तियों को बैठाकर मोटरसाईकिल जो उसके स्वयं की भी नहीं थी, चलाते हुए दुर्घटना कारित होने का तथ्य प्रकट करता है जबकि अन्य आहतगण कथित स्कार्पियो चालक के द्वारा अचानक से बिना संकेत व इण्डीकेटर दिए ब्रेक लगा देने के सुझाव से इंकार करते हैं, ऐसे में स्वयं अभिलेख पर मोटरसाईकिल चालक के रूप में फरियादी की त्रुटि दर्शित हो रही है।

11. फरियादी अली मौहम्मद अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे कथित स्कार्पियो वाहन के चालक को नहीं पहचान सकते। अन्य आहत चांद खां अ०सा० 2 व जुम्न खां अ०सा० 3 भी कथित वाहन चालक के रूप में अभियुक्त के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं। उक्त तीनों व्यक्तियों के अतिरिक्त अभिकथित घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी अभियोजन प्रस्तुत करने में अस्मर्थ रहा है। अभियुक्त को कथित वाहन स्कार्पियो चलाते हुए घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया हो, ऐसा भी अभियोजन के दस्तावेजों से दर्शित नहीं हैं। जब्ती पत्रक के अनुसार कथित घटना से करीब 5 माह से अधिक अवधि बाद दिनांक 28.08.16 को अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त स्कार्पियो जब्त करना बताई गयी है। घटना दिनांक को वाहन के स्वामी हेमंत पाण्डे अ०सा० 4 द्वारा यह बताने में अस्मर्थता व्यक्त की है कि कथित वाहन को कौन चला रहा था। जहां तक प्रमाणीकरण प्र०पी० 4 का प्रश्न है तो उसमें भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि कथित घटना दिनांक 15.03.16 को सुसंगत समय पर वह उक्त वाहन में मौजूद था। प्र०पी० 4 का प्रमाणीकरण संपोषक साक्ष्य की श्रेणी में आता है जो कि मुख्य साक्ष्य के अभाव में सारवान नहीं है। साथ ही कथित प्रमाणीकरण प्र०पी० 4 में भी वाहन स्वामी हेमंत अ०सा० 4 ने घटना दिनांक को उक्त वाहन को अभियुक्त द्वारा चलाए जाने के तथ्य से सूचक प्रश्नों में इंकार किया है। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि पुलिस वालों ने गाड़ी छुड़वाते समय प्र०पी० 4 पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। ऐसी दशा में अभियुक्त के कथित स्कार्पियो के चालक के रूप में घटना दिनांक व सुसंगत समय दोपहर 1 बजे वाहन सार्वजनिक मार्ग पर चलाए जाने के संबंध में तथ्य संदिग्ध हैं।

12. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व अन्य ए०आई०आर० 2016 एस०सी० 4581रू 2016-4 सी०सी०एस०सी० 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि "विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे

उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साय पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषिता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।”

13. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 15.03.16 को 13:00 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड़ पर बूटी कुईया के सामने सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0-09 बी0सी0 8061 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी अली मौहम्मद को टक्कर मारकर उपहति एवं घोर उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 337, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

15. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

16. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश